DAINIK JAGRAN, Delhi, 7.2.2019
Page No. 10, Size:(12.83)cms X (10.37)cms.

आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन से आधार को लिंक करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था तत्काल यानी वित्त वर्ष 2018-19 (असेसमेंट वर्ष 2019-20) से लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले को तय कर चुकी है। अदालत ने आयकर कानून की धारा 139एए को वैध करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश केंद्र की उस अपील पर दिया है, जिसमें सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दो व्यक्तियों श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को पैन से आधार को लिंक किए बगैर ही असेसमेंट वर्ष 2018-19 (वित्त वर्ष 2017-18) का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने उस मामले में यह आदेश इस बात के मद्देनजर दिया था कि यह मामला सर्वोच्च अदालत में लंबित है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने उस मामले में फैसला देते हुए आयकर कानून की धारा 139एए के प्रावधानों को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए उन दोनों व्यक्तियों ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिए हैं और उनका असेसमेंट भी हो चुका है। असेसमेंट ईयर 2019-20 से आयकर रिटर्न सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही दाखिल होने चाहिए।

आवश्यक शर्त

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसी वित्त वर्ष से लागू होगी नई व्यवस्था
- अदालत ने आयकर कानून की धारा 139एए को वैध करार दिया

उल्लेखनीय है कि उन याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष यह कहते हुए गुहार लगाई थी कि आयकर रिटर्न ई-फाइल करते समय आधार नंबर या आधार नामांकन संख्या भरे बगैर रिटर्न दाखिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद ही हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक करार दिया था। हालांकि, बैंक खाते, मोबाइल फोन व स्कूलों में दाखिला के लिए अनिवार्य बनाने के प्रावधानों को खारिज कर दिया था।